



क्रमांक: प.1()/पी.ए./बैठक/2021/ 73

दिनांक:- 19.04.2021

:-बैठक कार्यवाही विवरण:-

कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या एवं उनके उपचार हेतु विस्तृत विचार विमर्श हेतु माननीय श्री ओम जी बिरला के प्रस्थान के तुरन्त पश्चात श्रीमान प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक महोदय की अध्यक्षता में सुपर स्पेशीयलिटी चिकित्सालय में स्थित सभागार कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्न अधिकारियों ने भाग लिया :-

01. डा० नवीन सक्सेना, अधीक्षक, एम.बी.एस. चिकित्सालय
02. डा० आर.पी. मीणा, कार्यवाहक अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय
03. डा० नीलेश जैन, अधीक्षक, एस.एस. चिकित्सालय
04. डा० गिरीश वर्मा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, मेडीसिन विभाग
05. डा० अर्चना त्रिपाठी, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, निश्चेतना विभाग
06. डा० एस.सी.जेलिया, वरिष्ठ आचार्य मेडीसिन विभाग
07. डा० संजय कालानी, वरिष्ठ आचार्य, निश्चेतना विभाग
08. डा० प्रीति गुप्ता, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पीएसएम विभाग
09. डा० उषा दरिया, आचार्य, निश्चेतना विभाग
10. डा० आशुतोष शर्मा, सह-आचार्य, पीएसएम विभाग
11. डा० सी.एल. खेडिया, सहायक आचार्य, निश्चेतना विभाग
12. डा० गोविन्द सिंघल, एपोडोमोलिस्ट
13. डा० सुशील सोनी, प्रभारी अधिकारी, एमसीडीडब्ल्यू
14. श्री तेलमल मालव, नर्सिंग अधीक्षक,
15. श्री राकेश त्रिवेदी, नर्सिंग अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय
16. श्री हरिचरण सोनी, नर्सिंग अधीक्षक, एसएस चिकित्सालय
17. श्रीमती पूजा अरोडा, नर्सिंग स्टाफ, एसएस चिकित्सालय

सर्वप्रथम बैठक में श्रीमान प्राचार्य महोदय द्वारा उपस्थित सभी को माननीय श्री ओम जी बिरला द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया तथा बाद विचार विमर्श कोविड मरीजों के उपचार हेतु निम्नांकित निर्णय लिए गए :-

01. वार्ड के बाहर से जांच कराने के मुद्दे पर चर्चा के दौरान यह पाया गया कि मरीजों को डी-डाइमर, आईवी-6 एवं प्रोकाल्सीटेनिम चिकित्सक द्वारा जांच लिखी जाती है वह शाम के समय जांच चिकित्सालय के स्थान पर बाहर से करवाई जाती है। इस पर निर्णय लिया गया कि सभी जांचें चिकित्सालय के अन्दर से ही कराई जाए यदि ये जांचे चिकित्सालय के स्थान पर बाहर से करवाई जाती है तो सम्बन्धित चिकित्सक/रेजीडेण्ट टिकट पर जांच बाहर से करवाने का कारण स्पष्ट अंकित करें। साथ ही विभागाध्यक्ष, बायोकेमेस्ट्री एवं माइक्रोबायलॉजी विभाग को भी निर्देशित किया गया। इसके लिए दो टेक्नीशियन नवीन चिकित्सालय एवं दो टेक्नीशियन एसएस चिकित्सालय में लगाने का निर्णय लिया गया, जो दिन में दो बार वार्ड में जाकर मरीजों को सम्पल एकत्रित करेंगे। यदि इसके पश्चात भी जांचे बाहर से कराई जाती है तो चिकित्सक/रेजीडेण्ट/नर्सिंग अधीक्षक/नर्सिंग कर्मचारी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
02. डेथ विवरण पर निर्णय लिया गया कि डेथ समरी पर चिकित्सक द्वारा अपनी टिप्पणी अंकित की जावे तथा अपना नाम व पद स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे।
03. एम्बूलेंस के सम्बन्ध में कार्यवाह अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय ने बैठक में अवगत कराया गया जिला कलक्टर, कोटा द्वारा पांच एम्बूलेंस स्वीकृत की गई है, जिस पर निर्णय लिया गया कि दो मरीजों को लाने ले जाने के लिए कार्य में ली जावे तथा दो एम्बूलेंस सेम्पलिंग के लिए कार्य में ली जाए तथा एक एम्बूलेंस को स्टाफ के लिए रिजर्व रखी जावेगी।

दूरभाष न० 0744-2470674 || 0744-2323578 ईमेल : principal.mc.kota@rajasthan.gov.in||


वेबसाइट <http://www.education.rajasthan.gov.in/gmckota>



कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह
रंगबाडी रोड, कोटा 324005


04. रेमेडीसिवर इंजेक्शन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वर्तमान में यह इंजेक्शन में कम मात्रा में उपलब्ध है। इस पर अधीक्षक महोदय ने अवगत कराया कि सरकार द्वारा रेमेडीसिवर इंजेक्शन प्राप्त होने वाले हैं। इस पर निर्णय लिया गया कि प्राप्त होने वाले इंजेक्शन में से कुछ मात्रा में एमबीएस चिकित्सालय को भी भिजवाए जावें, जिससे वहां यदि किसी मरीज को आवश्यकता हो तो उपलब्ध हो सके। बाहर के मरीज को रेमेडीसिवर इंजेक्शन लगाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि डे-केयर में आकर वहां पर उपस्थित ड्यूटी डाक्टर से लिखवाने के पश्चात ही मरीज को रेमेडीसिवर इंजेक्शन लगाया जाए।
05. चिकित्सालय में भर्ती मरीजों की जानकारी के सम्बन्ध में बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि हेल्प डेस्क पर तीनों पारियों में एक एक व्यक्ति की बढोतरी की जावे तथा उसका कार्य दूरभाष पर प्राप्त मरीजों के परिजनों को मरीज के सम्बन्ध में जानकारी देना होगा। इस पर अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय को निर्देशित किया गया कि वे हेल्प डेस्क पर तीन कर्मचारियों को बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।
06. भविष्य में कोविड मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए श्रीमान प्राचार्य महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सा महाविद्यालय प्रशासनिक भवन के पीछे दो परीक्षाहॉल को कोविड मरीजों के उपचार हेतु उपलब्ध करवाया गया। इस पर अधीक्षक नवीन चिकित्सालय द्वारा अवगत कराया गया कि परीक्षा हॉल में 100 बेड लगवा दिए जाएंगे इस हेतु फर्म को निर्देशित किया जा चुका है। इस पर प्राचार्य महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि परीक्षा हॉल में स्थापित होने वाले बेडों के साथ ड्रीप सेट एवं ऑक्सीजन कन्सप्ट्रेटर भी रखे जाएं। साथ ही 20 ऑक्सीजन सेलेण्डर भी उपलब्ध करावें।
07. नर्सिंग स्टूडेंट व इन्टर्नस एवं फाइनल एमबीबीएस के छात्रों को भी भविष्य में इस हेतु तैयार करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु विभागाध्यक्ष, पीएसएम विभाग को निर्देशित किया गया कि वे अगले सप्ताह में नर्सिंग स्टूडेंट/इन्टर्नस एवं फाइनल एमबीबीएस के छात्रों को कोविड उपचार के सबन्ध में ट्रेनिंग देंगे इस हेतु वे अन्य दो संकाय सदस्य का चयन कर उक्त कार्य को अंजाम दें।

अन्त में बैठक सघन्यवाद समाप्त हुई ।


(ड० विजय सरदाना)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर
02. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
03. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कोटा जेन, कोटा।
04. अधीक्षक, एमबीएस/नवीन/एस.एस.बी. चिकित्सालय, कोटा।
05. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा
06. विभागाध्यक्ष मेडिसिन/निश्चेतन/रोग विभाग
07. उपस्थित सदस्यगण
08. अतिरिक्त निजी सचिव, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
09. आई.टी. शाखा को प्रेषित कर लेख है कि वेबसाइट पर अपलोड करावें।


प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक